न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना.आई.ए.एस.
अपील संख्या : 10/2018 एल.आर. एक्ट

विजय सिह पुत्र श्री भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी 2 एस.एस. डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट्

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ
2. राजेन्द्र पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. कमला देवी पुत्री भागीरथ पत्नि संजीव कुमार जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

श्री अनिल बिश्नोई	–	अभिभाषक अपीलांट्
श्री राजेश बैद	–	रेस्पोडेन्ट संख्या 2
श्री गोपाल चोधरी	–	रेस्पोडेन्ट संख्या 3
श्री सुभाष सहू	–	राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 26–11–2019

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 06–07–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमानगढ के संमक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि चक 2 एस.एस. डब्ल्यू पटवार हल्का झांबर तहसील हनुमानगढ मे उनकी कृषि भूमि है। कृषि भूमि मे आने जाने के लिए आम रास्ता अप्रार्थी की भूमि खाता सं. 55/52 के पत्थर नं. 175/283 मु.न. 20 किला नं. 2 मे से जाता है। जिसकी जमाबंदी में गैर मुमकिन रास्ता की जगह गलती से गैर मुमकिन खाला दर्ज हो गया है। जिसे प्रार्थी दूरूस्त करवाना चाहता हे। तथा मौका पर कोई विवाद नही है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा पटवारी हल्का झांबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त मु. नं. 20 के किला नं. 2 मे सहवन से खाला दर्ज हुआ लगता है अतः इसे दुरूस्त किया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाना उचित है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा उक्त रिर्पोट की ताईद में खाला के स्थान पर रास्ता अंकन करने की उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ से अनुषशा की गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने उक्त प्रार्थना पत्र मे दिनांक 6.7.17 को आदेश पारित कर खाला के स्थान पर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे के आदेश पारित कर दियें जिसके विरूद्व यह अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में दिनांक 28.12.2017 पेश की गई राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा श्रवणाधिकार नही होने के कारण यह अपील दिनांक 5.1.2018 को अपीलांट को वापस लौटाई गई उसके बाद अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2018 को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस के दौरान रेस्पोडेंन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक श्री गोपाल चोधरी उपस्थित नही आये।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये एवं लिखित बहस पेश कर कहा कि अपीलांट वं रेस्पोडेट सं. 3 के नाम चक 2 एस.एस. डब्ल्यू के खाता सं. 55/52 के पत्थर नं. 173/282 मु. नं. 12 किला नं. 6,7 व पत्थर नं. 175/283 मु. नं. 20 किला नं. 2/0. 228, 9/0.253 कुल 0.967 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है तथा किला नं. 2 में ही 0.025 हैक्टेयर कृषि भूमि गैर मुमकिन खाला दर्ज है। तहसीलदार हनुमानगढ के संमक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि चक 2 एस.एस. डब्ल्यू पटवार हल्का झांबर तहसील हनुमानगढ मे उनकी कृषि भूमि है। कृषि भूमि मे आने जाने के लिए आम रास्ता अप्रार्थी की भूमि खाता सं. 55/52 के पत्थर नं. 175/283 मु.न. 20 किला नं. 2 मे से जाता है। जिसकी जमाबंदी में गैर मुमकिन रास्ता की जगह गलती से गैर मुमकिन खाला दर्ज हो गया है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है तथा मौका पर कोई विवाद नही है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थना पत्र के संबध में पटवारी झांबर से रिर्पोट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अस्पष्ट रिर्पोट प्रस्तुत करते उल्लेख किया कि उक्त मु. नं. 20 के किला नं. 2 मे सहवन से खाला दर्ज हुआ लगता है अतः इसे दुरूस्त किया जाना उचित है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में किसी ऐसे राजस्व रिकार्ड का आधार दर्ज नही किया गया तथा ना ही किसी प्रकार की सी.ए.डी विभाग से उक्त खाला रिकार्ड की जांच की गई उक्त सिचाई खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा उक्त रिर्पोट की ताईद में खाला के स्थान पर रास्ता अंकन करने की उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ से अनुषशा की गई जिस पर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने उक्त प्रार्थना पत्र मे बिना कोई जांच किये अपीलांट व रेस्पोडेट सं. 3 को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 6.7.17 को आदेश पारित कर खाला के स्थान पर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे के आदेश पारित कर दियें जो गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती बाबत पेश किया था विधी का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि कोई भी काश्तकार अपने राजस्व रिकार्ड के अंकन की दुरूस्ती ही धारा 136 एल आर एक्ट के तहत करवा सकता है जबकी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पक्षकार बनाये बिना ही एक पक्षीय रूप से विधि के आज्ञापक सिद्वांतो की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं अन्य काश्तकारान के खेतो में इसी खाला से सिचाई होती है और सिचाई विभाग के रिकार्ड में भी उक्त भूमि गैर मुमकिन खाला दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाबत अपीलांट को पूर्व में कोई ज्ञान नही था, अपीलांट को दिनांक 29.11.2017 को पता चला तो प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया तथा इसी दिनांक को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई। इसके बाद अपने अधिवक्ता से मशविरा कर व फीस इत्यादि की व्यवस्था कर अपील प्रस्तुत की जो ज्ञान से अदर मियाद हे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बिना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया गया है, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है। इसलिए अपीलांट आवश्यक पक्षकार बनता है। तथा इसी अधार पर अपीलांट यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 556 दिनांक 6.7.17 को खारिज फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2016 पृष्ठ 394, RRT 2002 (1) पृष्ठ 357, RRT 2007 पृष्ठ 127, राजस्थान राजपत्र विशेषाक (अध्यादेश) मई 17, 2010, APEX COURT JUDGMENTS 2011 (3) , का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने बहस कंहा कि वादगत भूमि चक 2 एसएसडब्ल्यू के पत्थर नं. 173/283 के मुरब्बा नं. 20 का किला नं. 2 में 0.025 हैक्टर रास्ते की भूमि को लिपिकीय भूलवंश खाला दर्ज करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 6.7.17 के विरूद्व पेश की गई है, मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त विवादित किला नं. 2 की लाईन मे इसी मुरब्बे के शेष किला नं. 1 व 3 से 5 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर रास्ता पहले से दर्ज है केवल किला नम्बरान की लाईन में बिचो बीच किला नं. 2 में सहवन से खाला अंकित हो गया। जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार कर किया गया, उक्त आदेश पटवारी की मौका रिर्पोट पर आधारित है, वास्तविक विवाद राजस्व रिकार्ड को लेकर था जिसमें अपीलांट का कोई हित निहित नही था। विवादित भूमि खाला अथवा रास्ता रहे, दोनो ही स्थिति में राजकीय भूमि है इसलिए अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। इस संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी आपत्ति न्यायालय के संमक्ष लिखित में प्रस्तुत की जिसके संबध में अपीलांट ने कोई जवाब दिया। राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध मे जल संसाधन विभाग के दस्तावेजात तैयार कर लिये जबकि राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध जल संधाधन विभाग के दस्तावेजात व उनके कर्मचारियो

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा तैयार किये गये कागजात पर राजस्व विभाग के कागजात व कर्मचारियो द्वारा तैयार की हुई रिर्पोट आदि अधिमान रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अपीलांट ने न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे माना जा सके कि उसे उस खाले से सिचाई होती हे। व्यहारिक तौर पर भी यह सम्भव नही हे कि उतर से दक्षिण चलने वाली पत्थर लाईन पर किला नं. 1 मे रास्ता हो तथा किला नं. 2 मे खाला हो तथा पुन किला नं. 3 से 5 में रास्ता हो। उक्त परिस्थिति की कल्पना मात्र से ही विवाद के सही बिन्दु पर पहुचा जा सकता है। अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की है तथा अपीलांट धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पर अपील लेकर आये है अपीलांट हितबद्व पक्षकार नही है अतः अपील को मियाद बाहर मानते हुवे अपील खारिज की जावें एव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 6.7.17 को यथावत रखा जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट, रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपील में मुख्य विवाद खाला अथवा रास्ता बाबत है उस जगह पर रास्ता था अथवा खाला यह बिन्दु तैय करने से पहले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने तीन अलग –अलग बिन्दुओ पर प्राथमिक आपत्ति पेश की है जिन पर विचार किया जाता है।

1. **मूल आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नही करने की प्राथमिक आपत्ति**

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक का इस पर मूल ऐतराज यह है कि अपीलांट ने अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के मूल आदेश दिनांक 6.7.17 की प्रमाणित प्रति पेश नही की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय के अनुसार अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के मूल आदेश दिनांक 6.7.17 की प्रमाणित पेश की है वही प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सलग्न है, इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने अपने केवियट प्रार्थना पत्र में भी वही आदेश दिनांक 6.7.17 की प्रति पेश की जो अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत की, यदि इस आदेश के अलावा अगर अन्य कोई उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का मूल आदेश दिनांक 6.7.17 है तो वह भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने न्यायालय में उपलब्ध नही करवाया इस प्रकार यह नही माना जा सकता की अपीलाट ने अपील के साथ मूल आदेश दिनांक 6.7.17 की प्रमाणित प्रति पेश नही की। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक की यह आपत्ति खारिज की जाती हे।

2. **धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर प्राथमिक आपत्ति**

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक का इस पर मूल ऐतराज यह कि अपीलांट कथन करता है कि उसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.17 की जानकारी दिनांक 29.11.17 को हुई, जबकि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी आरम्भ से ही थी। मात्र नुमाईशी तौर पर धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा पेश किया गया है।

न्यायालय के अनुसार मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए तथा मात्र तकनिकी आधार पर अपील को खारिज नही किया जाना चाहिऐ। विशेषकर जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ हो। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही था, चुकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनके द्वारा बताई गई दिनांक 29.11.17 से पूर्व हो चुकी थी। इसलिए यह नही माना जा सकता की अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.7.17 की जानकारी आरम्भ से ही थी। इसलिए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक की यह आपत्ति खारिज की जाती हे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपीलांट को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही पर प्राथमिक आपत्ति

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक का इस पर मूल ऐतराज यह कि मुख्य विवाद रास्ते अथवा खाले की भूमि को लेकर है, दोनो ही स्थिति मे विवादित भूमि राजकीय भूमि हैं। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि नही है।

न्यायालय के अनुसार अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के मूल आदेश दिनांक 6.7.17 की अपील पेश की जिसमे वह पक्षकार नही था। उसको बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। उसे न्यायहित में सुनवाई का मौका दिया जाना उचित है। अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक की यह आपत्ति खारिज की जाती हे।

जहा तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वहा पर खाला था तथा उस खाले से उसकी फसल पर सिचाई होती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या के अभिभाषक 2 का कथन है कि उस जगह पर खाला था ही नही, ना ही अपीलांट के खेत पर सिचाई होती थी,उस जगह पर रास्ता था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक ने फार्म नं. 3 के साथ अलग – अलग कई व्यक्तियो के शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे यह माना गया है कि उस जगह पर शुरू से खाला नही था उस जगह पर शुरू से रास्ता था तथा अपीलांट ने भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह माना जा सके की उसके खेत की फसल की सिचाई उस खाले से होती थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2017 के द्वारा पारित आदेश खाला के स्थान पर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने के कारण खारिज की जाती हे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2017 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य अपील के तथ्य से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26–11–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.12 16:23:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: